



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]
No. 227]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2000/वैशाख 5, 1922
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2000/VAISAKHA 5, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2000

सा. का. नि. 347(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 737(अ), तारीख 1-11-1999 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) खंड (क) के उपखंड (xvi) के परन्तुक में मद (आ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु निधियों को, जिनका निक्षेप 50 करोड़ रूपए और उससे अधिक है, अन्तिम तुलन पत्र की तारीख के निक्षेप पर अगले दस वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष वृद्धि शील निक्षेप अनुज्ञात किया जाएगा”;

(ii) खंड (क) में, उपखंड (xvii), (xviii) और (xix) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(xvii) उन राज्यों से, जहाँ उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित हैं, बाहर शाखाएं खोल सकेगी :

परन्तु ऐसी निधियों के मामले में जिन्होंने 1 नवम्बर, 1999 को 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं तब शाखाओं की संख्या जो उस तारीख को विद्यमान थी, बढ़ाई नहीं जाएगी;

(xviii) उस राज्य में, जहां उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है, तीन शाखाओं से अधिक शाखाएं नहीं खोल सकेगी :

परन्तु ऐसी निधियों के मामले में जिन्होंने 1 नवम्बर, 1999 को 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं तब शाखाओं की संख्या जो उस तारीख को विद्यमान थी बढ़ाई नहीं जाएगी;

(xix) उस जिले में, जहां उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है, तीन शाखाओं से अधिक शाखाएं नहीं खोल सकेगी :

परन्तु ऐसी निधियों के मामले में जिन्होंने 1 नवम्बर, 1999 को 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं तब शाखाओं की संख्या जो उस तारीख को विद्यमान थी बढ़ाई नहीं जाएगी;

(xixक) उपखंड (xvii) से (xix) में वर्णित निधियों की शाखाओं की संख्या जो 1 नवम्बर, 1999 को विद्यमान थी, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के अधीन कम कर दी जाएगी;”

(iii) खंड (क) में, खंड (xxi) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(xxi) छह मास से कम अवधि के लिए निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी, परन्तु इसमें सदस्यों द्वारा ऋण और ब्याज की रकमों को जमा करने और आवधिक रूप से निकालने के सीमित प्रयोजनों के लिए पृथक रूप से रखे गए बचत खाते सम्मिलित नहीं होंगे”;

(iv) खंड (ख) के उपखंड (v) में दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि किसी एक वर्ष में निदेशकों में से दो-तिहाई या अधिक के निवर्तन के मामले में निदेशकों की कुल संख्या का एक-तिहाई तुरन्त होने वाले वार्षिक साधारण अधिवेशन के दौरान अपना पद छोड़ देंगे और निदेशकों की बाकी संख्या बाद में होने वाली दो पश्चात्कर्ती वार्षिक साधारण अधिवेशनों में निवृत्त हो जाएंगे”।

[फा. सं. 5/37/99-सी एल-वी]

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2000

G.S.R. 347(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 637 of the Companies Act, 1956(1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification in the Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. G.S.R. 737 (E) dated 1-11-1999 namely:—

In the said notifications,—

(i) in clause (a) in sub-clause (xvi), in the proviso after item (B), the following shall be inserted, namely:—

“Provided that Nidhis having deposits of Rs. 50 crores and above, shall be allowed incremental deposits of 2% per annum of the deposits as on the date of last balance sheet, for the next ten years”;

(ii) in clause (a), for sub-clauses (xvii), (xviii) and (xix), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(xvii) have branches outside the States in which its registered office is situated:

Provided that in case such Nidhis have completed 25 years on 1st November, 1999, then, the number of branches as it was existing on that date should not be increased;

(xviii) have not more than 3 branches in a State in which its registered office is situated:

Provided that in case such Nidhis have completed 25 years on 1st November, 1999 then, the number of branches as it was existing on that date should not be increased;

(xix) have not more than 3 branches in a District in which its registered office is situated:

Provided that in case such Nidhis have completed 25 years on 1st November, 1999, then, the number of branches as it was existing on that date should not be increased;

(xixa) the Nidhis mentioned in sub-clauses (xvii) to (xix) shall reduce the number of branches as it was existing on the 1st day of November, 1999 within a period of ten years from the date of publication of this notification”;

(iii) in clause (a), for clause (xxi) the following shall be substituted, namely:—

“(xxi) accept deposit for a period of less than six months, but this shall not include savings accounts kept by members separately earmarked for the limited purposes of crediting the loan and interest amounts and withdrawn periodically”;

(iv) in clause (b), in sub-clause (v), for second proviso, the following shall be substituted, namely:—

“Provided further that in case of retirement of two-third of directors, or more in any one year, then, one-third of the total number of directors shall vacate office in the ensuing Annual General Meeting immediately due and balance number of directors shall retire at the two, subsequent Annual General Meetings due later”.

[File No. 5/37/99-CL-V]

A. RAMASWAMY, Jt. Secy.